



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 12 वर्ष का कारावास व 100,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-825/14 धारा-08/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनिल राजपूत पुत्र मङ्यादीन निवासी ग्राम कुरा, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते 12 वर्ष का कारावास व 100,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
प्रवीण कुमार भदौरिया



विवेचक-
उपनिरीक्षक
मेवालाल मौर्य



पैरोकार
थाना- राठ
का0 सर्वज्ञ